PAREEKSHA BAAZ
Institute for CSE Examination

CURRENT AFFAIRS

3th DEC 2024

For more exam related videos and guidance, scan the code to join our YouTube Channel

For more exam related material, scan the code to join our Telegram Channel

Scan the code to join our Instagram Channel

INDEX

SN.	TOPIC
1	सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कश्मीर के शिल्प उद्योग का विकास
2	उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की व्याख्या
3	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सूफीवाद
4	चक्रवात फेंगल
5	जमानत पर विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग
6	पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन

सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कश्मीर के शिल्प उद्योग का विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कश्मीर और मध्य एशिया के कारीगर लगभग **500 वर्षों के बाद श्रीनगर में तीन दिवसीय शिल्प विनिमय पहल** के लिए एकत्र हुए, जिसमें साझा विरासत का जश्न मनाया गया और सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित किया गया।

- इस कार्यक्रम में **विश्व शिल्प परिषद (डब्ल्यूसीसी) द्वारा श्रीनगर को "विश्व शिल्प शहर" के रूप में मान्यता दिए जाने का जश्न मनाया गया।**

मध्य एशिया ने श्रीनगर में शिल्प के विकास को कैसे प्रभावित किया?

- **ऐतिहासिक शिल्प संबंध: कश्मीर के 9 वें सुल्तान ज़ैन-उल-अबिदीन (15 वीं शताब्दी) ने समरकंद, बुखारा और फारस** के कारीगरों की मदद से मध्य एशियाई शिल्प तकनीकों को कश्मीर में पेश किया । उनके शासनकाल के बाद, ये संबंध कमज़ोर हो गए और **1947 तक समाप्त हो गए।**
  - ऐतिहासिक **सिल्क रूट** पर स्थित श्रीनगर **सांस्कृतिक, आर्थिक और कलात्मक आदान-प्रदान का केंद्र बन गया।** इस अंतर-सांस्कृतिक संपर्क ने कश्मीर के विशिष्ट शिल्प के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **शिल्प कौशल तकनीकें:**
  - **लकड़ी की नक्काशी:** कश्मीरी कारीगर, जो अपनी जटिल लकड़ी की कारीगरी के लिए जाने जाते हैं, ने मध्य एशिया से तकनीकें अपनाईं।
    - जबकि कश्मीरी लकड़ी के नक्काशीकार विस्तृत डिजाइन के लिए **छेनी और हथौड़ों का इस्तेमाल करते थे** , ईरानी लकड़ी के नक्काशीकार आमतौर पर पुष्प रूपांकनों के लिए **एक ही छेनी का इस्तेमाल करते थे ।**
  - **कालीन बुनाई: कश्मीर की कालीन बुनाई फारसी तकनीक** से प्रभावित थी ।
    - फारसी गाँठें बनाने की पद्धति, जिसमें ***फारसी बफ़ और सेहना गाँठें शामिल हैं,*** को कश्मीरी कालीनों में शामिल किया गया।
    - इसके अतिरिक्त, कश्मीर के कालीन डिजाइनों का नाम ईरानी शहरों जैसे काशान और तबरीज़ के नाम पर रखा गया है, जो सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करते हैं, तथा कारीगरों के बीच आदान-प्रदान से कौशल में वृद्धि होती है और शिल्प कौशल को प्रेरणा मिलती है।
  - **कढ़ाई: उज्बेकिस्तान की सुज़ानी कढ़ाई को कश्मीर के सोज़िनी काम** का अग्रदूत माना जाता है । तकनीक, रंग पैलेट और पुष्प रूपांकनों में समानताएँ देखी गईं।

विश्व शिल्प शहर क्या है?

- **विश्व शिल्प शहर के बारे में: विश्व शिल्प परिषद (एआईएसबीएल) (डब्ल्यूसीसी-इंटरनेशनल) द्वारा डब्ल्यूसीसी-विश्व शिल्प शहर कार्यक्रम** के तहत 2014 में शुरू की गई " विश्व शिल्प शहर" पहल, शिल्प के माध्यम से सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान के लिए शहरों को मान्यता देती है।
  - **1964 में एक गैर-लाभकारी संगठन** के रूप में स्थापित डब्ल्यूसीसी एआईएसबीएल का उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में शिल्प की स्थिति को बढ़ाना और समर्थन और मार्गदर्शन के माध्यम से शिल्पियों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना है।

- **भारतीय शहर: श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), जयपुर (राजस्थान), मामल्लपुरम (तमिलनाडु) और मैसूर (कर्नाटक) को** डब्ल्यूसीसी द्वारा विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी गई है।
  - डब्ल्यूसीसी ने कश्मीर के हस्तशिल्प के लिए **'शिल्प की प्रामाणिकता की मुहर' की घोषणा की, जो जम्मू-कश्मीर के हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रमाणित करता है।** इस पहल का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में वैश्विक मान्यता प्रदान करना और गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- **श्रीनगर के प्रमुख शिल्प:**
  - **पश्मीना शॉल:** अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और जटिल हाथ से बुने हुए पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। **पश्मीना शॉल** कश्मीर से आते हैं, जहाँ **पश्मीना कपड़ा हाथ से काता और बुना जाता है।**
    - **मुगल सम्राट अकबर ने** शाही परिवार के लिए शॉल बनवाने का काम शुरू करके इस शिल्प को बढ़ावा दिया।
  - **कश्मीरी कालीन:** अपने समृद्ध डिजाइनों, विशेष रूप से पारंपरिक फ़ारसी शैली के कालीनों के लिए प्रसिद्ध **।**
    - **हाथ से बुनी गई** अनूठी **कश्मीरी कालीनों में डिज़ाइन निर्देशों के लिए तालीम नामक कोडित लिपि का उपयोग किया जाता है** । इन कालीनों में पारंपरिक प्राच्य और पुष्प रूपांकनों की विशेषता है और इन्हें रेशम और ऊन जैसी विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है।
  - **पेपर मेशी: यह ढले हुए कागज के गूदे** से वस्तुएं बनाने की कला है , जिसे पारंपरिक रूप से रंगा और रोगन किया जाता है।
    - कश्मीर में इसकी शुरुआत कलमदान से हुई और बाद में यह सतह सजावट ***(नकाशी) की एक विशिष्ट कला के रूप में विकसित हुई।***
  - **कशीदाकारी वस्त्र:** सोज़नी और आरी जैसी उत्कृष्ट कढ़ाई तकनीकें, जिनका उपयोग वस्त्रों और सहायक वस्तुओं में किया जाता है।
    - सोज़नी शॉल की उत्पत्ति कश्मीर से हुई है, **फ़ारसी में "सोज़नी" का अर्थ सुई होता है।**
  - **लकड़ी की नक्काशी:** अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी करके जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं **,** जिससे सुंदर फर्नीचर और घरेलू सजावट बनाई जाती है।
  - **तांबे के बर्तन:** पारंपरिक कश्मीरी धातु शिल्प, विशेष रूप से तांबे के समोवर और चाय के सेट। कश्मीर की प्राचीन विरासत का हिस्सा, **धातु विज्ञान में कुशल कारीगर।**
  - **खतमबंद:** यह अखरोट या देवदार की लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों को बिना कील का उपयोग किए ज्यामितीय पैटर्न में फिट करके छत बनाने की एक हस्तनिर्मित कला है।

टिप्पणी

2021 में, श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए **यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) क्रिएटिव सिटी नेटवर्क (यूसीसीएन)** के हिस्से के रूप में एक रचनात्मक शहर नामित किया गया था ।

- यूसीसीएन में शामिल अन्य भारतीय शहरों में **जयपुर** को 'शिल्प और लोक कला का शहर' (2015), **वाराणसी** को 'संगीत का रचनात्मक शहर' (2015), **चेन्नई** को 'संगीत का रचनात्मक शहर' (2017), **मुंबई** को 'फिल्म का शहर'

(2019), **हैदराबाद** को 'पाक-कला का शहर' (2019), **कोझीकोड** को 'साहित्य का शहर' (2023) और **ग्वालियर** को 'संगीत का शहर' (2023) शामिल हैं।

कश्मीरी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत टैग

- कश्मीर के सात शिल्पों - **कश्मीरी कालीन, पश्मीना, सोज़नी, कानी शॉल, अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, खतमबंद और पेपर माचे - को भौगोलिक संकेतक (माल का पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** के तहत **भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग** प्राप्त हुए हैं ।
    - जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकें, जिससे शिल्प की प्रामाणिकता और विरासत की रक्षा होती है।

सीमापार सांस्कृतिक आदान-प्रदान से कारीगर कैसे लाभान्वित हो सकते हैं?

- **कौशल संवर्धन:** विभिन्न तकनीकों और शैलियों के संपर्क से कारीगरों को अपने **कौशल को निखारने और अपने शिल्प में नवीनता लाने में** मदद मिल सकती है , जिससे बाजार में अद्वितीय और अभिनव उत्पाद सामने आ सकते हैं।
- **बाजार विस्तार:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान से नए बाजार खुलते हैं, जिससे कारीगरों को वैश्विक दर्शकों के सामने अपना काम प्रदर्शित करने और **अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने का अवसर मिलता है।**
    - अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेकर, कारीगर वैश्विक **बाजार के रुझानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार ढाल सकते हैं।** अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के संपर्क में आने से उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके शिल्प का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है।
- **सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कारीगर:** सांस्कृतिक राजदूत के रूप में काम करने वाले कारीगर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने शिल्प का प्रदर्शन वैश्विक सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है, साथ ही विविध परंपराओं की पारस्परिक प्रशंसा को बढ़ावा देता है।
    - ये अंतःक्रियाएं उनके शिल्प को संरक्षित करने और **वैश्विक सांस्कृतिक संवाद में योगदान देने में मदद करती हैं, जिससे** उनकी कलात्मक प्रथा और आर्थिक अवसर दोनों समृद्ध होते हैं।

कश्मीरी कारीगरों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **कार्यबल भागीदारी** : लगभग **92% कारीगर अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में शिल्प पर निर्भर हैं,** लेकिन उत्पन्न आय अक्सर अपर्याप्त होती है, जिससे कई लोगों को कृषि या दैनिक श्रम जैसे माध्यमिक आजीविका विकल्प अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **लिंग और मजदूरी असमानताएं** : जबकि महिला कारीगरों की एक महत्वपूर्ण संख्या (63%) सोज़नी जैसे शिल्प में लगी हुई हैं, पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी असमानताएं बनी हुई हैं।
    - कुछ शिल्प, जैसे खताम्बंद और लकड़ी की नक्काशी, पुरुष-प्रधान बने हुए हैं।
- **शिल्पकला में घटती रुचि** : कई कारीगर अधिक स्थिर रोजगार के अवसरों के पक्ष में पारंपरिक शिल्पकला को छोड़ रहे हैं।

- कारीगरों का एक उल्लेखनीय प्रतिशत (4%) पहले से ही **आजीविका के अन्य रूपों की ओर स्थानांतरित हो चुका है,** विशेष रूप से डल जैसे क्षेत्रों में, जहां कृषि एक द्वितीयक आय के रूप में कार्य करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट,** तथा **सस्ते विकल्पों** और **मशीन-निर्मित उत्पादों** से प्रतिस्पर्धा के कारण इस क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।
- युवा पीढ़ी अक्सर वित्तीय स्थिरता की कमी के कारण पारंपरिक शिल्पकला को जारी रखने में अनिच्छुक रहती है, कई लोग ऐसे करियर को अपनाना पसंद करते हैं जो अधिक आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक मान्यता प्रदान करते हों।

- **नवाचार का अभाव:** बदलती बाजार मांग के अनुरूप शिल्प क्षेत्र में नवाचार और आधुनिकीकरण का अभाव है।

हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल

- **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम**
- **व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना**
- **शिल्प दीदी महोत्सव**
- **पीएम विश्वकर्मा योजना**
- **अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना**
- **एक जिला एक उत्पाद**

वे फारवर्ड

- **सरकारी सहायता:** कश्मीरी कालीनों और पश्मीना शॉल जैसे शिल्पों के लिए जीआई टैग मान्यता को बढ़ावा देने से उनका दर्जा ऊंचा हुआ है।
  - **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** और **व्यापार मेलों** के माध्यम से वैश्विक प्रचार से कारीगरों को नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और स्थानीय सहकारी समितियों का समर्थन करने से शिल्प क्षेत्र की लाभप्रदता भी बढ़ सकती है।
- **शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम: कौशल भारत मिशन** के तहत युवा पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करके , कारीगर वैश्विक बाजारों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक तकनीकों को शामिल करते हुए पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं।
- **पर्यटन एकीकरण: कश्मीर में शिल्प पर्यटन सर्किट** विकसित करना , जिससे पर्यटकों को कारीगरों की कार्यशालाओं में जाने और सीधे उत्पाद खरीदने की सुविधा मिल सके।
  - इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और कारीगरों को एक स्थिर आय का स्रोत मिलेगा।
- **स्थिरता अभ्यास: शिल्प उत्पादन में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों** के उपयोग को प्रोत्साहित करें । इससे पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ता आकर्षित हो सकते हैं और नए बाजार खंड खुल सकते हैं।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की व्याख्या

चर्चा में क्यों?

पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित रखने वाला उपासना **स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991,** जारी कानूनी चुनौतियों के बीच विवादास्पद बना हुआ है।

- **उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद विवाद ने** अधिनियम की प्रयोज्यता पर बहस को फिर से छेड़ दिया है।

शाही जामा मस्जिद विवाद क्या है?

- **विवाद की पृष्ठभूमि:** याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संभल में 16 वीं शताब्दी की जामा मस्जिद **एक प्राचीन हरि हर मंदिर (हिंदू मंदिर) के स्थल** पर बनाई गई थी ।
  - **मुगल सम्राट बाबर के अधीन एक सेनापति मीर हिंदू बेग** द्वारा लगभग 1528 में निर्मित इस मस्जिद में गुंबद और मेहराब के साथ **विशिष्ट पत्थर की चिनाई है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी अन्य मुगल मस्जिदों से भिन्न है।**
    - इसके इतिहास और वास्तुकला के कारण इसके संबंध पहले की संरचनाओं से होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें एक संभावित हिंदू मंदिर भी शामिल है।
  - यह **वाराणसी, मथुरा और धार में हुए ऐसे ही विवादों से मिलता-जुलता है।** याचिकाकर्ताओं ने इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की है।
- **न्यायपालिका की भागीदारी:** संभल जिला न्यायालय ने दावों की पुष्टि के लिए शांतिपूर्ण सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालांकि, दूसरे सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप हिंसक झड़पें हुईं।
- **मस्जिद की कानूनी स्थिति:** शाही जामा मस्जिद **प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904** के तहत एक संरक्षित स्मारक है। इसे **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा राष्ट्रीय महत्व** के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- **शाही जामा मस्जिद और पूजा स्थल अधिनियम, 1991:** पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 इस विवाद के केंद्र में है।
  - अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि पूजा स्थलों का धार्मिक चरित्र, जैसा कि वे **15 अगस्त 1947 को थे, संरक्षित किया जाना चाहिए तथा** ऐसे स्थानों की धार्मिक पहचान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।
  - शाही जामा मस्जिद विवाद में मस्जिद के धार्मिक चरित्र को बदलने की मांग करके अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 क्या है?

- **उपासना स्थल** (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उद्देश्य उपासना स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित रखना तथा **विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच या एक ही संप्रदाय के भीतर धर्मांतरण को रोकना है।**
  - इस अधिनियम का उद्देश्य इन स्थानों के धार्मिक चरित्र को स्थिर रखते हुए तथा ऐसे धर्मांतरण से उत्पन्न विवादों को रोककर **सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है।**
- **अधिनियम के प्रमुख प्रावधान**
  - **धारा 3** : किसी भी पूजा स्थल को, **पूर्णतः या आंशिक रूप से,** एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है।

- **धारा 4(1)** : यह अनिवार्य करता है कि पूजा स्थल की धार्मिक पहचान **15 अगस्त 1947** की स्थिति से अपरिवर्तित रहनी चाहिए । धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास निषिद्ध है।
- **धारा 4(2) : 15 अगस्त 1947** से पहले किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के परिवर्तन से संबंधित सभी चल रही कानूनी कार्यवाहियों को समाप्त करता है , और ऐसे स्थानों की धार्मिक स्थिति को चुनौती देने वाले नए मामलों की शुरुआत को रोकता है।
- **धारा 5 (अपवाद) : अयोध्या (बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि)** का विशिष्ट विवाद , जिसे अधिनियम से छूट दी गई थी।
  - अयोध्या विवाद के अलावा, अधिनियम में निम्नलिखित को भी छूट दी गई है: कोई भी पूजा स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, या **प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाला कोई पुरातात्विक स्थल है।**
  - ऐसे मामले जो पहले ही आपसी समझौते से सुलझा लिए गए हों या निपटा दिए गए हों।
  - अधिनियम के लागू होने से पहले हुए धर्मांतरण।
- **धारा 6 (दंड)** : अधिनियम में उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन वर्ष तक का कारावास और पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का प्रयास करने पर जुर्माना शामिल है।

- **सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या:** मई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने **कहा कि पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र की जांच की अनुमति दी जा सकती है,** बशर्ते कि ऐसी जांच से धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव न हो।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के संबंध में चिंताएं क्या हैं?

- **न्यायिक समीक्षा को सीमित करना** : इस अधिनियम को **न्यायिक समीक्षा को सीमित करने तथा** विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका को संभावित रूप से कमजोर करने के लिए चुनौती दी गई है।
- **पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि** : अधिनियम की पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि 15 अगस्त 1947 को **मनमाना और तर्कहीन** बताते हुए इसकी आलोचना की गई है , जिससे कुछ धार्मिक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- **कानूनी चुनौतियाँ:** इस अधिनियम के विरुद्ध कई याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह **हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को** पूजा स्थलों पर पुनः दावा करने से रोकता है, जिनके बारे में उनका **मानना है कि ऐतिहासिक शासकों द्वारा उन पर "आक्रमण" या "अतिक्रमण" किया गया था।**
- **कुछ विवादों के लिए छूट** : **राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले को अधिनियम से छूट दिए जाने से असंगतता और कुछ विवादों के चयनात्मक कानूनी उपचार** की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं ।
- **बढ़ते सांप्रदायिक तनाव:** अधिनियम के इर्द-गिर्द कानूनी और सामाजिक बहसें अक्सर व्यापक **सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ी होती हैं।**
  - आलोचकों का तर्क है कि **अधिनियम को चुनौती देने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है,** खासकर जब बात **मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों जैसे संवेदनशील स्थलों की हो।**

- **धर्मनिरपेक्षता पर प्रभाव:** इस अधिनियम का उद्देश्य **धार्मिक सद्भाव को बनाए रखते हुए भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की रक्षा करना था,** लेकिन इसके आलोचकों का मानना है कि यह अनजाने में ऐतिहासिक स्थलों पर **कुछ धार्मिक समुदायों के दावों को दबाने की अनुमति दे सकता है, जिससे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को** नुकसान पहुंचेगा ।
- **राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ:** इस अधिनियम का अक्सर राजनीतिक और धार्मिक बहसों में उल्लेख किया जाता है, जिससे यह चिंता उत्पन्न होती है कि धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल **विभाजन को बढ़ावा देने या राजनीतिक कारणों के लिए समर्थन जुटाने के लिए किया जा सकता है।**
    - वर्तमान में चल रहे कुछ विवादों के कारण सामाजिक अशांति पैदा हुई है, धार्मिक स्थल पर दावों को लेकर विरोध प्रदर्शन और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुए हैं, जो ऐसे मुद्दों पर गहरे सामाजिक विभाजन को दर्शाता है।

वे फारवर्ड

- **कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता:** अधिनियम के प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्याओं के साथ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपासना स्थल अधिनियम की प्रयोज्यता पर स्पष्ट और निश्चित दिशानिर्देश प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है।
- **स्थानीय न्यायालय के अतिक्रमण को रोकना:** संवेदनशील धार्मिक मामलों में स्थानीय न्यायालयों के हस्तक्षेप की बढ़ती आवृत्ति, निचली अदालतों की अधिकारिता सीमाओं की गहन जांच की मांग करती है।
    - सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे मामलों की निगरानी में अपनी भूमिका पर जोर देना चाहिए जिनके व्यापक सामाजिक या राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं।
- **कानूनी मामलों का राजनीतिकरण न करना:** धार्मिक स्थलों पर कानूनी चुनौतियों को **राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए, ताकि** वैचारिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए उनका दुरुपयोग न हो, न्यायपालिका की विश्वसनीयता और धार्मिक संस्थाओं की पवित्रता सुनिश्चित हो सके।
- **एकता पर ध्यान देना:** राजनीतिक दलों और नागरिक समाज दोनों को विभाजन के बजाय एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर जोर देना ज़रूरी है जो भारत को धर्म से परे एक साथ बांधती है।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सूफीवाद

समाचार में

- हिंदू सेना की एक याचिका अजमेर की एक अदालत में स्वीकार कर ली गई, जिसमें दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है, तथा पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग की गई।
- यह दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, जो उपमहाद्वीप में सूफीवाद के प्रसार में प्रमुख व्यक्ति थे।
- इस दरगाह का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं ने उनके सम्मान में करवाया था।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती

- **प्रारंभिक जीवन:** उनका जन्म 1141 ई. में फारस (आधुनिक ईरान) में हुआ था और 14 वर्ष की आयु में वे अनाथ हो गए थे। एक रहस्यवादी इब्राहिम कंदोजी से मिलने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की।
    - मोइनुद्दीन को मुहम्मद का वंशज माना जाता है।
- **आध्यात्मिक प्रशिक्षण** : हेरात के निकट ख्वाजा उस्मान हारूनी द्वारा चिश्ती सूफी संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले मोइनुद्दीन ने बुखारा और समरकंद में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया।
- **अजमेर आगमन** : 1192 ई. में, मुहम्मद गौर से पराजय के बाद चौहान वंश के पतन के दौरान, मोइनुद्दीन अजमेर पहुंचे।
    - उन्होंने वहीं रहकर पीड़ित लोगों की मदद करने का निर्णय लिया।
- **"गरीब नवाज" की उपाधि: मोइनुद्दीन को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए "गरीब नवाज"** (गरीबों का दोस्त) की उपाधि मिली , जिसमें बेघर और जरूरतमंदों के लिए शरण और लंगरखाना (सामुदायिक रसोईघर) का निर्माण भी शामिल था।
- **योगदान और शिक्षाएँ:** मोइनुद्दीन ने **हिंदू मनीषियों और संतों के साथ बातचीत की, भक्ति के सामान्य मूल्यों को साझा किया** और धार्मिक रूढ़िवाद को अस्वीकार करते हुए समानता और दिव्य प्रेम पर ध्यान केंद्रित किया।
    - **सूफीवाद** इस्लाम के एक भक्तिपूर्ण और तपस्वी रूप के रूप में उभरा और 10वीं शताब्दी में स्थापित चिश्ती संप्रदाय का प्रसार मोइनुद्दीन और उनके शिष्यों द्वारा किया गया।
- **शिष्य:** कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया और चिराग देहलवी जैसे प्रमुख शिष्यों ने मोइनुद्दीन की शिक्षाओं को फैलाने में मदद की।
    - उनका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों तक फैला हुआ था।
- **मुगल संरक्षण** : सम्राट अकबर मोइनुद्दीन का आदर करते थे, उनकी दरगाह पर तीर्थयात्रा करते थे और अजमेर के सौंदर्यीकरण में मदद करके शहर के पुनरुद्धार में योगदान दिया।
- **विरासत:** मोइनुद्दीन की प्रेम, करुणा और समावेशिता की शिक्षाएं भारत के धार्मिक रूप से विविध परिदृश्य में गूंजती रहती हैं, तथा समुदायों के बीच सांस्कृतिक अंतर को पाटती हैं।

सूफीवाद के बारे में

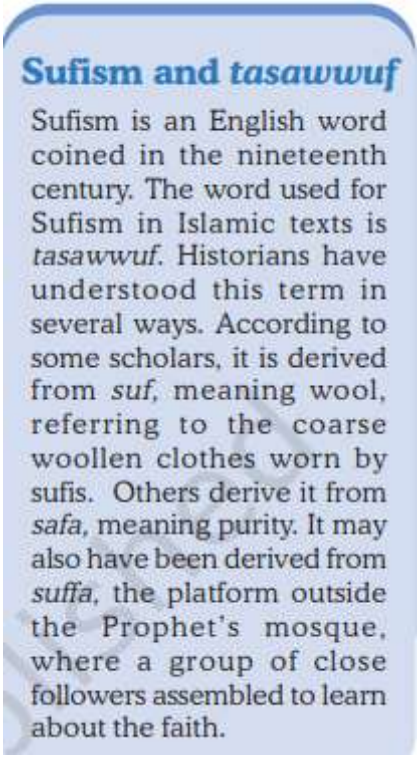

Sufism and *tasawwuf*

Sufism is an English word coined in the nineteenth century. The word used for Sufism in Islamic texts is *tasawwuf*. Historians have understood this term in several ways. According to some scholars, it is derived from *suf*, meaning wool, referring to the coarse woollen clothes worn by sufis. Others derive it from *safa*, meaning purity. It may also have been derived from *suffa*, the platform outside the Prophet's mosque, where a group of close followers assembled to learn about the faith.

- सूफी **मुस्लिम रहस्यवादी** थे , उन्होंने औपचारिक अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया तथा प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण और मानवता के प्रति करुणा पर जोर दिया।
- वे ईश्वर से मिलन चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलन चाहता है, और अक्सर इन भावनाओं को व्यक्त करते हुए कविताएँ लिखते थे।
- **नाथपंथियों और योगियों की** तरह सूफियों ने भी हृदय को दुनिया को अलग तरह से देखने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु गुरु के मार्गदर्शन में जप, चिंतन, नृत्य और श्वास नियंत्रण जैसी विधियों का उपयोग किया।
- **11वीं शताब्दी से** मध्य एशिया से कई सूफी **हिंदुस्तान में आकर बस गए,** खासकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद **, जहां प्रमुख सूफी केंद्र फले-फूले।**
    - उन्होंने **पैगम्बर मुहम्मद** के उदाहरण का अनुसरण करते हुए **ईश्वर के प्रति गहन भक्ति और प्रेम के** माध्यम से **मोक्ष पर जोर दिया ।**
- **ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे प्रमुख हस्तियों के साथ चिश्ती संप्रदाय** अत्यधिक प्रभावशाली हो गया।
- **सूफी गुरु अपने खानकाहों** में सभाएं आयोजित करते थे , जहां राजपरिवार और आम लोगों सहित सभी क्षेत्रों के भक्त आध्यात्मिक चर्चा, आशीर्वाद और संगीत के लिए एकत्र होते थे।
- कई लोगों ने सूफी गुरुओं को चमत्कारी शक्तियों का श्रेय दिया और उनकी दरगाहें प्रमुख तीर्थ स्थल बन गईं, जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं।

चक्रवात फेंगल

प्रसंग

- **चक्रवात फेंगल** , एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, **पुडुचेरी में पहुंचा।**

बारे में

- **लैंडफॉल** एक ऐसी घटना है जिसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात पानी के ऊपर से होते हुए जमीन पर आ जाता है।
    - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आगमन तब माना जाता है जब तूफान का केंद्र - या उसकी आंख - तट के ऊपर आ जाता है।
    - भूस्खलन कुछ घंटों तक जारी रह सकता है, तथा इसकी सटीक अवधि हवा की गति और तूफान प्रणाली के आकार पर निर्भर करती है।
- भूस्खलन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सीधे प्रहार से भिन्न होता है।
    - **'प्रत्यक्ष प्रहार' से** तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जहां तेज हवाओं का केन्द्र (या आईवॉल) तट पर आ जाता है, लेकिन तूफान का केन्द्र तट से दूर ही रह जाता है।

चक्रवात क्या हैं?

- चक्रवात शब्द **ग्रीक शब्द साइक्लोस** से लिया गया है जिसका अर्थ है **साँप की कुंडली।**
    - इसे **हेनरी पेडिंगटन** द्वारा गढ़ा गया था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र में कुंडलित सर्पों की तरह प्रतीत होते हैं।
- चक्रवात **शक्तिशाली, घूमते हुए तूफान** होते हैं जो गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं, जिनके केंद्र में कम दबाव और तेज़ हवाएं चलती हैं।

Type of Disturbances	Wind Speed in Km/h	Wind Speed in Knots
Low Pressure	Less than 31	Less than 17
Depression	31-49	17-27
Deep Depression	49-61	27-33
Cyclonic Storm	61-88	33-47
Severe Cyclonic Storm	88-117	47-63
Super Cyclone	More than 221	More than 120

- **विश्वव्यापी शब्दावली:** विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवातों को कई नाम दिए गए हैं:
    - इन्हें चीन सागर और प्रशांत महासागर में **टाइफून** , कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडियन द्वीप समूह में **हरिकेन** , पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के गिनी द्वीप समूह में **टॉरनेडो** , उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में **विली-विली** और हिंद महासागर में **उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है।**

चक्रवात कैसे बनता है?

- **परिस्थितियाँ: चक्रवात आमतौर पर गर्म समुद्री पानी के** ऊपर बनते हैं , गर्मी चक्रवात को ईंधन देने के लिए आवश्यक **गर्मी और नमी प्रदान करती है।**
    - गर्म पानी के कारण समुद्र **वाष्पित** हो जाता है , जिससे गर्म, नम हवा बनती है। यह नम हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है, जिससे **सतह पर हवा का दबाव कम हो जाता है।**

- **निम्न-दाब प्रणाली का निर्माण:** जब हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है और दूर जाती है, तो **इससे नीचे कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है।**
    - इसके कारण आसपास के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से हवा कम दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है, जिससे **हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है।**
- **चक्रवाती परिसंचरण:** पृथ्वी के घूमने (कोरिओलिस प्रभाव) के कारण ऊपर उठती हवा निम्न दबाव केंद्र के चारों ओर घूमने लगती है। इस घूमने वाली गति के कारण चक्रवाती परिसंचरण का विकास होता है।

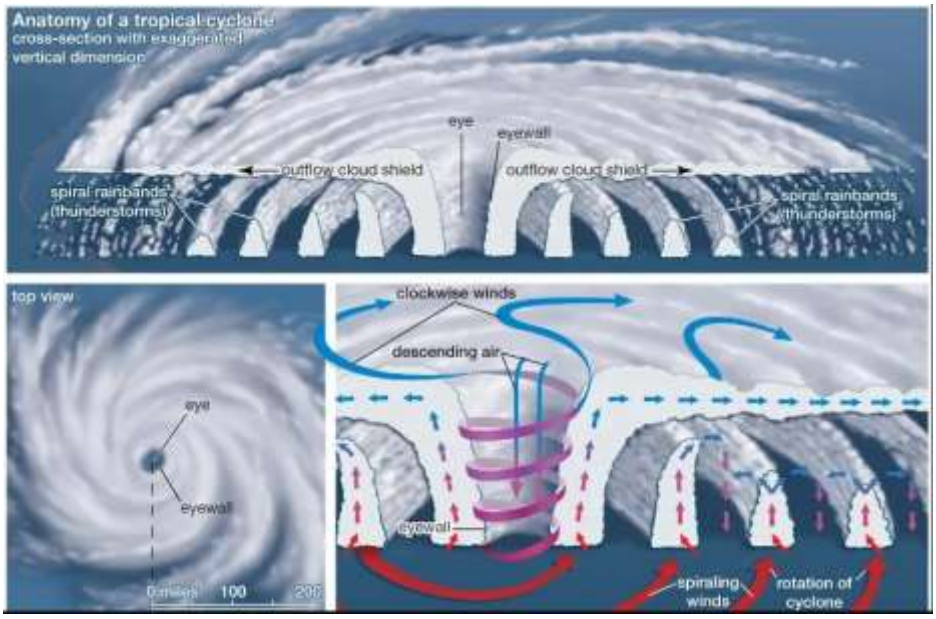

- **जैसे-जैसे वायु प्रणाली बढ़ती गति के साथ घूमती है, बीच में एक आँख बन जाती है।**
    - चक्रवात का केंद्र बहुत शांत और साफ होता है और हवा का दबाव बहुत कम होता है। गर्म, ऊपर उठने वाले और ठंडे वातावरण के बीच तापमान के अंतर के कारण हवा ऊपर उठती है और उछाल लेती है।
- **क्षय:** जब चक्रवात ठंडे पानी के ऊपर से गुजरेगा, शुष्क हवा का सामना करेगा, या भूमि के संपर्क में आएगा, तो वह अंततः कमजोर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, जिससे प्रणाली की गर्म, नम हवा की आपूर्ति बाधित हो जाएगी।

नामपद्धति

- इन नामों का रखरखाव और अद्यतन **विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाता है।**
- उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका स्थित **क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (आरएसएमसी) द्वारा किया जाता है।**
    - प्रत्येक देश एक सूची में नाम जोड़ता है जिसका उपयोग **बारी-बारी से किया जाता है।**
- चक्रवातों का नामकरण करने का मुख्य कारण **संचार को आसान और अधिक कुशल बनाना है।**

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)
इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन है।

जमानत पर विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग

प्रसंग

- **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने "भारत में जेल: जेल मैनुअल का मानचित्रण और सुधार एवं भीड़भाड़ कम करने के उपाय"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की ।
    - **इसमें जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने** के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है , जिसमें **"कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग"** शीर्षक वाला एक खंड भी शामिल है ।

बारे में

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, भारत की जेलों में कैदियों की संख्या काफी अधिक है, तथा **2022 में वहां कैदियों की संख्या 131.4% हो जाएगी।**
- इसके अतिरिक्त, **भारत में 75.8% कैदी विचाराधीन हैं।**
- इलेक्ट्रॉनिक निगरानी **भारत की जेलों में भीड़ कम करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका साबित हो सकती है।**

विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के लाभ

- **भीड़भाड़ में कमी:** कम और मध्यम जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करने की अनुमति देकर, जेलों में जगह खाली की जा सकती है।
- **लागत प्रभावी:** यह अतिरिक्त जेल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और कैदियों के आवास एवं भोजन की लागत को कम करता है।
- **अधिकारों की सुरक्षा:** विचाराधीन कैदियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उनका दोष सिद्ध न हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है कि उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि इससे उन्हें घर पर या कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में रहने की अनुमति मिलती है, जबकि उन पर निगरानी भी रखी जाती है।
- **बेहतर पुनर्वास:** इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के साथ रिहा किए गए विचाराधीन कैदी अपनी शिक्षा, काम जारी रख सकते हैं और पारिवारिक संबंध बनाए रख सकते हैं, जो उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
- **कुशल निगरानी:** जीपीएस ट्रैकर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से विचाराधीन कैदियों की निरंतर और वास्तविक समय पर निगरानी की जा सकती है, जिससे जमानत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और भागने का जोखिम कम होता है।

चुनौतियां

- **गोपनीयता संबंधी मुद्दे:** इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से निरंतर निगरानी से व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन की चिंता उत्पन्न होती है।
- **तकनीकी चुनौतियाँ:** डिवाइस की खराबी, सिग्नल की हानि और छेड़छाड़ जैसी समस्याएं सिस्टम की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती हैं।
- **कलंक:** टखने या ब्रेसलेट उपकरणों के दिखने से कलंक लगने की भी संभावना रहती है।
    - कुछ व्यक्ति सामाजिक कलंक या आक्रामक निगरानी की धारणा के कारण ट्रैकिंग डिवाइस पहनने का विरोध कर सकते हैं।

वे फारवर्ड

- **विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट में** इस बात को स्वीकार किया गया है कि इस तरह के उपाय से संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
    - इसमें सुझाव दिया गया है कि ऐसी निगरानी केवल गंभीर और जघन्य अपराधों में ही की जानी चाहिए, जहां आरोपी व्यक्ति को पहले भी इसी तरह के अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका हो। इसमें कहा गया है कि आपराधिक कानूनों में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग प्रणालियों को प्रभावी और नैतिक रूप से क्रियान्वित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, पर्याप्त संसाधन और कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन

प्रसंग

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों और पुलिस रणनीतियों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए भुवनेश्वर, **ओडिशा में आयोजित 'पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन' में भाग लिया।**

सम्मेलन की मुख्य बातें

- **राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चा:** सम्मेलन में ***आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन और मादक पदार्थों की तस्करी सहित विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।***
    - इनका उद्देश्य प्रभावी जवाबी रणनीति विकसित करना तथा देश के समग्र सुरक्षा ढांचे को बढ़ाना था।
- **स्मार्ट पुलिसिंग पहल:** प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा का विस्तार किया है तथा पुलिस बल को और अधिक ***रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आग्रह किया है।***
    - **उन्होंने 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण** के साथ आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया ।
- **तकनीकी एकीकरण:** सम्मेलन में ***डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डीप फेक सहित एआई द्वारा उत्पन्न*** संभावित खतरों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया ।
    - इसने पुलिस से इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 'आकांक्षी भारत' में भारत की दोहरी ताकत का उपयोग करने का आह्वान किया।**
- **शहरी पुलिस व्यवस्था संबंधी पहल:** प्रधानमंत्री ने शहरी पुलिस व्यवस्था में की गई पहल की सराहना की और सुझाव दिया कि इन्हें **देश भर के 100 शहरों में व्यापक रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।**
    - उन्होंने कांस्टेबलों के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा पुलिस थानों को संसाधन आवंटन का केन्द्र बिन्दु बनाने के महत्व पर बल दिया।
- **पुलिस हैकथॉन:** प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन समाधानों के माध्यम से प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए **राष्ट्रीय पुलिस हैकथॉन आयोजित करने** का विचार प्रस्तावित किया ।

भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता

- भारत में, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को संविधान की **सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय के रूप में नामित किया गया है।**
    - इसका अर्थ है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना और उनकी जांच करना तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाना **प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।**
- सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह पुलिस बल की आवश्यकता को मान्यता दी गई है।

भारत में वर्तमान पुलिस व्यवस्था से संबंधित प्रमुख चिंताएँ/चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधन:** देश भर में कई पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं और आधुनिक तकनीक का अभाव है।

- इससे पुलिस की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता पर असर पड़ता है।

- **प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण** : साइबर अपराध, आतंकवाद और अन्य जटिल आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण, इन चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस करने की आवश्यकता है।
  - हालाँकि, वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्सर पुराने और अपर्याप्त होते हैं।
- **तकनीकी चुनौतियाँ:** यद्यपि प्रौद्योगिकी अपराध का पता लगाने और रोकथाम में सहायक हो सकती है, लेकिन पुलिस बल में अक्सर इन प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों का अभाव होता है।
  - विशेष रूप से साइबर सुरक्षा खतरों के लिए विशेष ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- **कानूनी और न्यायिक बाधाएं:** पुराने कानून और लंबी न्यायिक प्रक्रियाएं त्वरित और प्रभावी कानून प्रवर्तन में बाधा डाल सकती हैं।
  - पुलिस को अपने कर्तव्यों में सहयोग देने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार आवश्यक है।
- हाल की रिपोर्टों के अनुसार, भारत में पुलिस-जनसंख्या अनुपात **संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित मानक से काफी नीचे है ।**
  - इससे मौजूदा कर्मियों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, जिससे उनके प्रदर्शन और मनोबल पर असर पड़ता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** यह पुलिस बल की स्वायत्तता को कमजोर करता है तथा प्रायः पक्षपातपूर्ण एवं अप्रभावी कानून प्रवर्तन को जन्म देता है।
  - इसका परिणाम राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस के दुरुपयोग के रूप में भी हो सकता है।
- **भ्रष्टाचार:** इससे पुलिस पर जनता का भरोसा और विश्वास खत्म हो जाता है, जिससे उनके लिए अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना मुश्किल हो जाता है।
  - पुलिस बल के भीतर भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयास जारी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।
- **मानवाधिकार उल्लंघन:** पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, जिससे पुलिस बल की छवि धूमिल हुई है और जनता में आक्रोश फैल रहा है।
  - पुलिस और समुदाय के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जवाबदेही और मानवाधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

प्रमुख नीतिगत अनुशंसाएँ

- **राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें (1978-82):** इनमें पुलिस सुधारों के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं जिनमें *पुलिस बल का राजनीतिकरण समाप्त करना, जवाबदेही में सुधार करना और पुलिस कर्मियों की कार्य स्थितियों में सुधार लाना शामिल है।*
- **पद्मनाभैया समिति (2000):** इसने पुलिस बल के **पुनर्गठन** पर ध्यान केंद्रित किया । इसने *पुलिस के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने और भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने की सिफारिश की।*
- **मलिमथ समिति (2002-03): आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार पर** गठित इस समिति ने पुलिस और न्यायपालिका की दक्षता में सुधार के लिए उपाय सुझाए।

    - इसमें बेहतर जांच तकनीकों और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **रिबेरो समिति (1998): सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश** पर गठित इस समिति ने **पिछली सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की** तथा पुलिस सुधारों में तेजी लाने के उपाय सुझाए।
- **मूशाहरी समिति:** इसने राष्ट्रीय पुलिस आयोग और अन्य समितियों की सिफारिशों की समीक्षा की, उनके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया और आगे सुधार के सुझाव दिए।

प्रकाश सिंह मामले पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2006)

- **राज्य सुरक्षा आयोग (एसएससी):** व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करने और राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एसएससी की स्थापना करना।
- **निश्चित कार्यकाल और योग्यता आधारित चयन:** पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के साथ डीजीपी और अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाएगा।
- **कार्यों का पृथक्करण:** दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए पुलिस के जांच और कानून एवं व्यवस्था कार्यों को अलग करें।
- **पुलिस स्थापना बोर्ड:** पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति, पदोन्नति और अन्य सेवा-संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड स्थापित करें।
- **पुलिस शिकायत प्राधिकरण:** पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनाएं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग:** केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु संघ स्तर पर एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष होगा।

अन्य संबंधित कदम

- **आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार:** इसमें पुराने कानूनों को अद्यतन करना, जांच तकनीकों में सुधार करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है।
- **सामुदायिक पुलिसिंग:** पुलिस और जनता के बीच विश्वास बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने की पहल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
    - इसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने में समुदाय को शामिल करना तथा स्थानीय मुद्दों का सहयोगात्मक ढंग से समाधान करना है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस कार्मिक आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों, निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
    - इसमें साइबर अपराध, मानव तस्करी और अन्य उभरते खतरों पर विशेष प्रशिक्षण शामिल है।

निष्कर्ष

- पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव साझा करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया।
- प्रधानमंत्री की भागीदारी और स्मार्ट पुलिसिंग, तकनीकी एकीकरण और नवीन समाधानों पर उनके जोर ने भारतीय पुलिस बल की क्षमताओं और व्यावसायिकता को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।